

112

PBR/ निगरानी/ झाबुआ/ भू-25/2017/2905 नि.प्र.क्र. / 17

माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प, इन्दौर के समक्ष

1. पानसिंह पिता मावजी जाति भील
2. नरू पिता मावजी जाति भील
3. दल्ला पिता मावजी जाति भील
4. रामा उर्फ रूपा पिता मावजी जाति भील
5. तुलसीबाई बेवा मावजी जाति भील

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री श्री. के. सु. 477
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 24-07-2017
को प्रस्तुत।

500
24-07-2017

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

सभी निवासीगण— ग्राम आंबा कुआ तह.राणापुर जिला झाबुआ

6. नानसिंह पिता रावजी जाति भील
7. मानसिंह पिता रावजी जाति भील
8. थावरिया पिता वसना जाति भील

सभी निवासीगण—छायन सिमलखेडी तह.राणापुर जिला झाबुआ

— प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. दिनेश पिता हेमा उर्फ हेमचंद जाति भील
2. श्रीमती सेवा पति हेमचंद जाति भील

दोनो निवासीगण— ग्राम आंबा कुआ तह.राणापुर जिला झाबुआ

3. सुखराम पिता पेमला जाति भील
4. बहादुर पिता कालिया जाति भील

सभी निवासीगण—छायन सिमलखेडी तह.राणापुर जिला झाबुआ

— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

इसमें प्रार्थीगण श्रीमान तहसीलदार महोदय राणापुर जिला झाबुआ द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 43/अ-6/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 14/06/2017 ससंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारो पर निगरानी प्रस्तुत करते है:-


प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :-

यह कि, प्रतिप्रार्थी क्र.1 लगायत 3 द्वारा जनसुनवाई मे आवेदन कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया तथा उक्त प्रकरण तहसीलदार महोदय

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/झाबुआ/भूरा/2017/2905

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|----------------|---|---|
| 12-03-19 | <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> |  अध्यक्ष |


अध्यक्ष